



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।



Email/ETIS copy

☎ :05942 -235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnaainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांक:- 644/15mg
सेवा में,

दिनांक:- 15/03/2024

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषय:- जनपद नैनीताल में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सतली से कफूडा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.988 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन, आन लाईन प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/9471/2015

संदर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1861/12-1 देहरादून दिनांक 26.02.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो कि वन संरक्षक, दक्षिणी कुमायूँ वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को संबोधित आपके कार्यालय एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त संदर्भित पत्र में भारत सरकार के पत्रांक 8वी०/यू०सी०पी०/06/89/2020/एफ०सी० दिनांक 25.01.2024 द्वारा उल्लिखित विन्दु संख्या-2 The State Government shall submit/ upload the FRA certificate in the prescribed formte की सूचना आन लाईन एव आफ लाईन उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त काम में विषयक मार्ग से संबंधित विन्दु संख्या-2 की आख्या 3-3 हार्ड प्रति में संलग्न करते हुए आपको प्रेषित की जा रही है, कृपया इनमें अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुए तदनुसार उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
नैनीताल।

दिनांक:- 15/03/2024

पत्रांक:-

प्रतिलिपि प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उक्त संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
नैनीताल।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।



☎ :05942 -235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnaainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांक:-
सेवा में,

दिनांक:-

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषय:- जनपद नैनीताल में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सतौली से कफूड़ा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.988 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन, आन लाईन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/9471/2015

संदर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1861/12-1 देहरादून दिनांक 26.02.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो कि वन संरक्षक, दक्षिणी कुमायूं वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सम्बोधित आपके कार्यालय एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त संदर्भित पत्र में भारत सरकार के पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/89/2020/एफ0सी0 दिनांक 25.01.2024 द्वारा उल्लिखित विन्दु संख्या-2 The State Government shall submit/ upload the FRA certificate in the prescribed formte की सूचना आन लाईन एव आफ लाईन उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त क्रम में विषयक मार्ग से संबंधित विन्दु संख्या-2 की आख्या 3-3 हार्ड प्रति में संलग्न करते हुए आपको प्रेषित की जा रही है, कृपया इनमें अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुए तदनुसार उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल।

पत्रांक:- 644/15mg

दिनांक:- 15/03/2024

प्रतिलिपि प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उक्त संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल 15/03/2024

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector - Nainital

No—

Dated 15/01/2015

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2:988.. hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Nainital (name of user agency) for Construction of Stauli - Kaphura motor Road..... (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of Satkhal, Ghatauli, Katura and Chul villages in Kashwan tehsil.
- Kutali

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2:988..... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexureto...annexure....
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT - NAINITAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Deepak Rawat, I.A.S., deputy commissioner, Nainital on dated at time at in which application claiming rights in Kashyan Kubali / area measuring 2.988 hect for the Construction of Satali Kaphure M.R. forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Kashyan Kubali sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Nainital

Dated: 15.01.15

Deputy Commissioner cum-Chairman
जिलाधिकारी
District नैनीताल Committee

परियोजना का नाम:-

~~रस० सी० रस० पी० के अन्तर्गत सतौली कफूडा मोटर मार्ग~~
~~का निर्माण (लम्बाई 6.00 कि०मी०)~~
~~कार्यालय उप जिलाधिकारी, कोशमा कुयेली~~

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कोशमा कुयेली

उपखण्ड कोशमा कुयेली परिक्षेत्र के अन्तर्गत सतौली - कफूडा मोटर मार्ग
का निर्माण। अन्य हे० आरक्षित वन भूमि, 2:6775 हे० सिविल एवं सोयम वन

भूमि: 3105 हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 2:988 हे० वन भूमि के नि० र० वि० नि० वि०

जे० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य

परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय

समिति, (तहसील कोशमा कुयेली) की दिनांक 13-1-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का

विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक

श्री चन्द्रसिंह भोसले उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार

समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार

हैं:-

- 1- श्री चन्द्रसिंह भोसले उपजिलाधिकारी कोशमा कुयेली
- 2- श्री पिनका निवारी उप-प्रभागिय वनाधिकारी कोशमा कुयेली
- 3- श्री मु. रम. रा. रा. सहायक समाज कल्याण अधिकारी कोशमा कुयेली
- 4- श्री सतीश चन्द्र बी०डी०सी० क्षेत्र कोशमा कुयेली सदस्य कोशमा कुयेली

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

~~रस० सी० रस० पी० के अन्तर्गत सतौली - कफूडा मोटर मार्ग~~
~~का निर्माण (लम्बाई 6.00 कि०मी०)~~

परियोजना हेतु 2:988 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा

सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुरासा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यकता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत सोनी - कफूडा
मोप मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2:1.88 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

Om / 13-1-15
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कोशमा कुशी
जनपद नैनीताल ।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कोशमा कुशी
जनपद नैनीताल ।

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सतौली से कफूडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

प्रारूप-1.6

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम: _____

तहसील व जिला नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत उक्त परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.6775 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.3105 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.988 हे0 वन भूमि का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम सतखोल, सतौली, कफूडा एवं चापड द्वारा दिनांक 12/01/2005 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सतखोल, सतौली, कफूडा एवं चापड के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/--

ग्राम प्रधान


मुहर सहित


प्रधान


ग्राम पंचायत सतखोल
बि०ख० रामगढ़ (नैनीताल)


प्रधान

ग्राम पंचायत- कफूडा कुमासी
बि०ख०- रामगढ़ (नैनीताल)


श्रीमा कापिल

ग्राम प्रधान - चापड


प्रधान

ग्राम पंचायत सतौली
बि०ख० रामगढ़ (नैनीताल)


प्रधान

ग्राम पंचायत- चापड
बि०खण्ड- रामगढ़
जिला- नैनीताल

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सतौली से कफूड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

प्रारूप-1.6

दिनांक 12/01/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम सतखोल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	दीवान सिंह	दीवान सिंह
2.	रामा सिंह	रामा सिंह
3.	इशराम	
4.	(अन्य-व्यक्त का पता)	अन्य
5.	पवनचन्द	पवनचन्द
6.	नन्द लाल	नन्द लाल
7.	कमलचन्द-प्रधान	कमलचन्द
8.	नन्द किशोर	नन्द किशोर
9.	रामानन्द (पुत्र)	रामानन्द
10.	मदन सिंह निषा	मदन सिंह
11.	डीवानचन्द	डीवानचन्द
12.	पूरनराम	पूरनराम
13.	कृष्णानन्द	कृष्णानन्द
14.	प्रकाशचन्द	प्रकाशचन्द

ह0/-
ग्राम प्रधान

 प्रधान
 ग्राम पंचायत सतखोल
 बि०ख० रामगढ़ (नैनीताल)

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सतौली से कफूडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

प्रारूप-1.6

दिनांक ...12/01/2015... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम ...सतौली...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री गोविन्द राम	श्री गोविन्द राम
2.	श्री प्रेमराम	प्रेमराम
3.	श्रीमती पारवती देवी	निःशुल्क
4.	हीरासिंह	
5.	रवीन्द्र राम	रवीन्द्र राम
6.	कुरेशचन्द्र	कुरेशचन्द्र
7.	बाबू	
8.	रवीन्द्र राम	रवीन्द्र राम
9.	अम्बिका	अम्बिका
10.	प्रिया देवी	प्रिया देवी
11.	नन्दकिशोर	NKm
12.	कैलाशचन्द्र	कैलाशचन्द्र
13.	विपिनचन्द्र	विपिनचन्द्र
14.	श्यामचन्द्र	श्यामचन्द्र
15.	गोपाल देव	गोपाल देव
16.	भास्करचन्द्र	भास्करचन्द्र
17.	देवी देव	देवी देव
18.	ललित मोहन लोहानी	LMLOHANI
19.	राजदेव	राजदेव

ह0/-

ग्राम प्रधान

सुनीता झा
ग्राम

ग्राम पंचायत सतौली
दि. ख. रा. न. नैनीताल

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सतौली से कफूड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

प्रारूप-1.6

दिनांक 12/01/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम कफूड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	गोपाल राम	224
2.	विजय कुमार	VIJAY KUMAR
3.	कमल राम	कमल राम
4.	श्याम लाल	श्याम लाल
5.	जानकी देवी	जानकी देवी
6.	गीता अम्बा	गीता अम्बा
7.	मीना देवी	मीना देवी
8.	भगवती देवी	भगवती देवी
9.	दुर्गा देवी	दुर्गा देवी
10.	ममता देवी	Mamta Devi
11.	रानी देवी	रानी देवी
12.	रेनु देवी	रेनु देवी
13.	सुवीमा देवी	सुवीमा देवी
14.	गोविन्दा देवी	गोविन्दा देवी
15.	सुन्दर देवी	सुन्दर देवी
16.	शीला देवी	शीला देवी
17.	किशन सिंह देवी	किशन सिंह देवी
18.	बुखारी देवी	बुखारी देवी
19.	कमला देवी	कमला देवी
20.	कविता देवी	कविता देवी
21-	प्रेम राम	प्रेम राम
22.	मोहन राम	मोहन राम
23.	कुन्तल लाल	कुन्तल लाल
	रामा देवी	रामा देवी

ह0/-
ग्राम प्रधान


प्रधान

ग्राम पंचायत- कफूड़ा कुमाठी
पि0ख0- रामगढ़ (नैनीताल)

